रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 1386] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

का.आ. 1986(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1404(अ) को एतद्द्वारा संशोधित करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना की सारणी में कैंसर ऐड एवं रिसर्च फाऊण्डेशन बाइकुला म्यूनिसिपल स्कूल भवन, भूतल, कमरा सं. 15-18 एन.एम. जोशी मार्ग, एस ब्रिज के नजदीक, बाईकुला (पश्चिम), मुम्बई-400011 से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने परियोजना अथवा योजना और उसकी अनुमानित लागत से संबंधित कालम (3) में प्रविष्टियों के लिए (i) कैंसर होस्टल (ii) कैंसर होस्पिक (iii) कैंसर निदान केन्द्र की प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं. 342/2006/फा.सं. एन.सी.-270/39/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)